न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 114 / 2016
प्रविष्टि दिनांक 01.08.2016

1–सूरज यादव पुत्र कजोड जाति अहीर निवासी बिचपुडी तहसील व जिला टोंक राज0
2–बन्ना पुत्र कजोड जाति अहीर निवासी बिचपुडी तहसील व जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–बद्री पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तहसील व जिला टोंक राज0
2–कंवरीलाल पुत्र कलयाण जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तहसील व जिला टोंक राज0
3–मदन पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तहसील व जिला टोंक राज0
4–छोटा पुत्री कल्याण जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तहसील व जिला टोंक राज0
5–राकेश माता मनभर पत्नि गंगाराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तह0 व जिला टोक
6–नरेश माता मनभर पत्नि गंगाराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तह0 व जिला टोंक
7–ज्योति माता मनभर पत्नि गंगाराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तह0 व जिला टोंक
8–लक्ष्मीनारायण माता सोनी पत्नि नाथूराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई त0 व जि0टोंक
9–प्रहलाद माता सोनी पत्नि नाथूराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तह0 जिला टोंक
10–रामअवतार माता सोनी पत्नि नाथूराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तह0 व जि0टोंक
11–मनभर माता सोनी पत्नि नाथूराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तह0 व जि0टोंक
12–कमला सोनी पत्नि नाथूराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तह0 व जि0टोंक
13–लछमा माता सोनी पत्नि नाथूराम जाति बैरवा निवासी चन्दलाई तह0 व जि0टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक 01.07.2016 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी बद्री आदि बनाम सूरज आदि

उपस्थिति : (1) श्री कैलाश अहूलवालिया,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री योगेश व्यास,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1,2,4,8ता.11 व 13

निर्णय **दिनांक 25.07.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 01.07.2016 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 415 / 1304 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चन्दलाई पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान का ... गुणा राशि 38 रूपये शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 3,5 ता. 7 अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नें अपने निर्णय दिनांक 01.07.2016 से उनवानी प्रकरण बद्री आदि बनाम सूरज यादव आदि में अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत प्रतिपक्षीगण को आराजी खसरा नम्बर 415/1304 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को बेदखल कर भूमि का कब्जा आवेदक को सुपुर्द किये जाने तथा लगान 0.75 रूपये का 50 गुणा 38/- रूपये शास्ति से प्रतिपक्षीगण को दंण्डित किये जाने का उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 09.06.2016 प्रथम बार अपीलान्ट्स को प्राप्त हुआ,जिस पर अपीलान्ट्स न्यायालय में उपस्थित हुये तथा अपीलान्ट्स ने एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदकगण कंवरीलाल विदेश में रहकर काम करता है तथा आवेदक संख्या 3 मदन काफी अर्से से लापता है तथा अन्य आवेदकगण के आवेदन पर फर्जी हस्ताक्षर कराकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है,इस कारण आवेदकगण को न्यायालय में एक बार असालतन उपस्थित होने का आदेश प्रदान करे। चूकि आवेदन आवेदक के नाम से फर्जी तरीके से अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कराया गया था। अधीनस्थ न्यायालय नें उक्त आवेदन पत्र को न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर भी लेना उचित नहीं समझा तथा ना ही इसके बारे में कोई आदेश पारित किया और ना ही आवेदकगण को असालतन उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया है। बल्कि इसके विपरित जाकर आदेशिका में रिपोर्ट बाबत् पटवारी हल्का को पुनः लिखा जावे का उल्लेख करते हुये आगामी तारीख पेशी प्रदान की गई है। दिनांक 01.07.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स ने उपस्थित होकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र 183 बी की नकल दिलवाये जाने का निवेदन किया ताकि अपीलांट्स अपना जवाब प्रस्तुत कर सके, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिनांक को तमाम बातों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्ष के विरूद्ध कोई कार्यवाही किए जाने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पटवारी हल्का चन्दलाई से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट मे मौके पर रामकिशन पुत्र कजोड़मल जाति अहीर का कब्जा होना अंकित किया है,जबकि उक्त व्यक्ति आवेदन में पक्षकार नहीं है तथा अपीलान्ट्स का नाम पटवारी रिपोर्ट में अंकित नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय नें अपीलान्ट्स के विरुद्ध गलत रूप से उक्त निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर रेस्पॉडेन्ट्स का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने जवाबी बहस [illegible] कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्टस का [illegible] कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जा[illegible] आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के [illegible] प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगों [illegible] मे सरसरी जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2070–2073 वाके ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक मे आराजी खसरा 415/1304 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 विदेश मे रहकर कार्य कर रहा है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 काफी अर्से से लापता है,परन्तु अपने कथन की पुष्टि मे कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किये गये है। अपीलांट्स ने अपील मीमो मे अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे मौके पर रामकिशन पुत्र कजोड़मल जाति अहीर का कब्जा है। विवादित भूमि पर हमारा कब्जा नही है,परन्तु पटवारी हल्का चन्दलाई द्वारा दिनांक 17.06.2016 को प्रस्तुत अपने जवाब मे अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर के काश्त की मौके पर जाकर सभी पडोसी खातेदारो से पता करने पर ठेका काश्त रामकिशन के भाई बन्ना पिता कजोड कोम अहीर द्वारा करना बताया है, जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अपीलांट संख्या 2 का अवैधानिक तरीके से कब्जा काश्त है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 415/1304 रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा वाके ग्राम चन्दलाई पर बाजरे की फसल काश्त किया जाना पटवारी हल्का कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 01.07.2016 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:29:25 IST
Reason: SelfAttested